कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।

–: सार्वजनिक नीलामी सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिए) जनपद न्यायालय परिसर के भीतर निम्नलिखित दुकानों के ठेकों की नीलामी दिनांक 05.04.2019 को अपराह्न 2:00 बजे मीटिंग हाल जनपद न्यायालय गोण्डा में श्री राम प्रताप सिंह, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0 टी0 सी0 प्रथम गोण्डा/अध्यक्ष नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

नीलामी की कार्यवाही की सामान्य शर्तें निम्नलिखित होंगी:–

1. प्रत्येक बोली बोलने वाले को अनिवार्य होगा कि वह अपने बोली पर स्थिर रहे तथा अपने बोली के अनुरूप अपने–अपने हैसियत प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करे । यह प्रमाण पत्र बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
2. बोली बोलने के पूर्व उसे फोटो/फोटो स्टेट की दूकान, के लिए बीस हजार रूपयें तथा दूकान नं0–3 के लिए दस हजार रूपये जमानत के रूप में अग्रिम जमा करना होगा । बिना अग्रिम धनराशि जमा किये हुए कोई व्यक्ति बोली बोलने का पात्र नहीं होगा । चाहे वह हैसियत प्रमाण पत्र ही क्यों न प्रस्तुत करें ।
3. बोली अन्तिम रूप से स्वीकार होने की दशा में, उसकी बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत, बोली स्वीकृत होने के पश्चात् तीन दिवस के भीतर जमा करना होगा । अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि दिनांक 01.07.2019, 01.10.2019 तथा 01.01.2020 को समान किश्तों में जमा करना होगा। अन्तिम बोली स्वीकार होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को 100 रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध भी करना होगा । यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत बोली धनराशि का 25 प्रतिशत ठेकेदार द्वारा स्वीकृति के तीन दिवस के अन्दर जमा नहीं की जायेगी तो जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और बोली पुनः कराई जायेगी । उपरोक्त दिनांक पर धनराशि न जमा कराये जाने पर एक सप्ताह पश्चात दुकान को प्रतिबंधित कर दिया जायेगा और नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
4. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय गोण्डा को होगा । बिना बोली बोलने वाला व्यक्ति कारण जानने का पात्र नहीं होगा ।
5. प्रत्येक बोली बोलने वाला व्यक्ति जिसकी बोली अन्तिम रूप से स्वीकृत होगी वह अपनी दूकान जनपद न्यायालय परिसर की सीमा के अन्तर्गत निर्दिश्ट स्थान पर लगायेगा । किसी ठेकेदार को स्वीकृत दूकान के अतिरिक्त अन्य दूकान खोलने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा अपनी दूकान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसका स्वंय का होगा ।
6. स्वीकृत दूकान पर दूकानदार स्वंय बैठकर दूकान का संचालन करेगा । यदि दूकानदार अपनी दूकान अन्य व्यक्ति से संचालित कराता है तो उसे उस व्यक्ति के नियुक्ति के उपरान्त उससे दूकान संचालित कराये जाने के पूर्व उसका नाम पता कार्यालय में अवगत् कराना आवश्यक होगा ।
7. कोई ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जनपद न्यायालय परिसर में कार्यदिवस में प्रातः 9–00 बजे से सायं 7:00 बजे तक हीं न्यायालय परिसर में रहकर अपनी दुकान का संचालन कर सकता है। सायं 7:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक किसी भी स्थिति में वह न्यायालय परिसर में नही रूकेगा।
8. जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश महोदय के पूर्व अनुमति के बिना कोई ठेकेदार अथवा कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई दूकान नहीं लगायेगा ।
9. जिस व्यक्ति के जिम्मे पूर्व से नीलामी का धनराशि बकाया होगा उसको बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
10. दुकान पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रभारी अधिकारी नजारत अथवा केन्द्रीय नाजिर द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी समय–समय पर निरीक्षण कर सकेगें । विपरीत परिस्थितियोंवश् ठेका तत्काल निरस्त किया जा सकता है ।
11. किसी भी तरह के विवाद का क्षेत्र जनपद न्यायालय गोण्डा होगा ।

28.3.19 **(रविशंकर गुप्ता)** **सदस्य, नीलामी समिति/** **सिविल जज (सी0डि0)** **गोण्डा।**	28.03.19 **(रनवीर सिंह)** **सदस्य, नीलामी समिति,** **प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/** **एफ0 टी0 सी0 नवीन** **गोण्डा।**	28/3/19 **(आर0पी0 सिंह),** **अध्यक्ष, नीलामी समिति/** **प्रभारी अधिकारी नजारत /** **अपर जनपद एवं सत्रन्यायाधीश** **एफ0टी0सी0, कक्ष सं0–1,** **गोण्डा।**

दूकानों का विवरण

नीलामी का दिनांक 05–04–2019

1. दुकान नं0–3 कैंटीन संख्या–3 के बगल।
2. फोटो/फोटोस्टेट दुकान मेन ब्लाक के पीछे।

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।

नीलामी दिनांक 05–04–2019

संख्या /नाजिर दिनांक 03–2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु :–

1. नोडल आफिसर कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
3. जिलाधिकारी, गोण्डा ।
4. पुलिस अधीक्षक, गोण्डा ।
5. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा ।
6. नगर पालिका परिषद, गोण्डा ।
7. जिला परिषद, गोण्डा ।

आज्ञा से

केन्द्रीय नाजिर

जनपद न्यायालय, गोण्डा ।